

6.9.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज  
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक: 25.11.24 को पेश हो।

25/10/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है  
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के  
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर  
आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली  
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बास्ते तलबी दिनांक  
11.12.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि  
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

11/12/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है  
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के  
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर  
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली  
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बास्ते तलबी दिनांक  
7.1.25 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि  
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

7.1.25

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत एव अपीलांत स्वयं को  
छार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल  
6 बजे तक बार बार दिलाई गई ! इन्तजार किया गया  
उसके बावजूद अपीलांत एवं उनके अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांत अदम हाजरी  
एव अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास  
सुनाया गया। प्रकल्प फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
बाद तुरतीव तकमील दाखिल टफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
षट्देन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

